# न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

**रेफरेन्स/एलआर./2003/1583/अजमेर**

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर।

**.....प्रार्थी**

**बनाम**

1– बजरंग पुत्र भूरा
2– बख्ती बेवा शम्भूलाल
3– सुखलाल पुत्र शम्भूलाल
4– बन्नालाल पुत्र शम्भूलाल
5– गोपाल पुत्र शम्भूलाल
6– सीतादेवी पुत्री शम्भूलाल, सभी जाति कुम्हार निवासी बघेरा, केकड़ी जिला अजमेर।

**.....अप्रार्थीगण**

**एकलपीठ**
**श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य**

**उपस्थित :–**
श्री राजेन्द्र प्रसाद मीणा, उप राज. अभिभाषक प्रार्थी
अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित,

––

**दिनांक : 19 मार्च, 2021**

## आदेश

1. यह रेफरेंस न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा–82 के अन्तर्गत अपने निर्णय दिनांक 19–3–2003 द्वारा अनुशंषा करते हुए मण्डल को प्रेषित किया है।

2. संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार से है कि तहसीलदार, केकड़ी जिला अजमेर ने निवेदन किया कि ग्राम बघेरा के खसरा नम्बर 1700 रकबा 9 बीघा 9 बिस्वा किस्म नदी दर्ज थी। साबिक खसरा नम्बर–1700 के अनेक नये खसरा नम्बर बने उनमें से एक खसरा नम्बर–2010/113 रकबा 6 बिस्वा का बना जिसका इन्द्राज गैर कानूनी रूप से अप्रार्थीगण के नाम हो जाने से इस इन्द्राज को निरस्त कर पुनः इस भूमि को नदी के रूप में दर्ज करने का निवेदन किया, जो अप्रार्थीगण के नाम आबंटन योग्य नहीं है। उक्त भूमि का हाल खसरा नम्बर–3107 रकबा 0.05 हैक्टेयर बना है जो अप्रार्थीगण की

खातेदारी में दर्ज है। उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–16 एवं भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार प्रतिबंधित भूमि है तथा विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकिन नदी होने के कारण इस भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता था। आवंटन विधि विरूद्ध होने के कारण खातेदारी अधिकार भी विधि विरूद्ध है। उक्त आवंटन डी0बी0 सिविल जनहित याचिका सं0 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02–08–2004 में दिए गए निर्देशों के विपरीत है। अतः विवादित भूमि को सिवायचक किस्म गैर मुमकिन नदी दर्ज करने के आदेश प्रदान किए जावें। प्रार्थना पत्र पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने इसे दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किए। बाद सुनवाई अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 19–3–2003 द्वारा यह रेफरेंस मण्डल को प्रेषित किया है।

3. रेफरेन्स प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्राप्त होने पर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस से तलब किया गया, जो बावजूद सूचना के अनुपस्थित है, जिनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

4. योग्य उप राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 के अनुसार समस्त नदियां, नाले, झीलें और तालाब आदि राज्य सरकार के स्वामित्व की है, जिसका आवंटन/नियमन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–16 के अनुसार किया जाना नियम विरूद्ध है। विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकिन नदी होने के कारण उक्त आवंटन डी0बी0 सिविल जनहित याचिका सं0 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02–08–2004 के परिप्रेक्ष्य में अविधिक है। अतः रेफरेंस को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को किया गया आवंटन व इसके आधार पर राजस्व अभिलेख में किए गए अंकन को निरस्त किया जाकर भूमि को पूर्व की भांति सिवायचक गैर मुमकिन नदी दर्ज करने के आदेश प्रदान किए जावें।

5– हमने विद्वान उप राजकीय अभिभाषक के तर्को पर गहनता से मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

6– पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि ग्राम बघेरा के खसरा नम्बर 1700 रकबा 9 बीघा 9 बिस्वा किस्म नदी दर्ज थी। साबिक खसरा नम्बर–1700 के अनेक नये खसरा नम्बर बने उनमें से एक खसरा नम्बर–2010/113 रकबा 6 बिस्वा का बना जिसका इन्द्राज गैर कानूनी रूप से अप्रार्थीगण के नाम हो जाने से इस इन्द्राज को निरस्त कर पुनः इस भूमि को नदी के रूप में दर्ज करने का निवेदन किया,

जो अप्रार्थीगण के नाम आबंटन योग्य नहीं है। उक्त भूमि का हाल खसरा नम्बर–3107 रकबा 0.05 हैक्टेयर बना है जो अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। चूँकि राजस्व अभिलेख के अनुसार विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकिन नदी होना स्पष्ट है जो कि जलस्त्रोत की भूमि है तथा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग में आती है तथा विवादित भूमि भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 के अन्तर्गत राज्य सरकार के स्वामित्व की भूमि है एवं उक्त भूमि का आवंटन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत वर्जित श्रेणी में आने के कारण राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन नियम, 1970 के नियमों के अन्तर्गत आवंटन/नियमन योग्य नहीं है एवं उक्त भूमि पर विपक्षीगण को खातेदारी अधिकार भी प्रोद्भूत नहीं होते हैं तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने डी0बी0 सिविल जनहित याचिका सं0 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार में निर्णय दिनांक 02–08–2004 पारित करते हुए नाला, नदी, तालाब व नाड़ी इत्यादि की भूमियों के खातेदारी में दर्ज होने पर उसे निरस्त करने की कार्यवाही के आदेश प्रदान किए है। उपरोक्त विधिक स्थिति के परीप्रेक्ष्य में हम राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत रेफरेंस को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के पक्ष में किए गए आवंटन आदेश को निरस्त कर विवादित भूमि की किस्म पूर्व की भांति सिवायचक गैर मुमकिन नदी दर्ज किया जाना उचित समझते है।

7– फलस्वरूप यह रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन इसके आधार पर आदिनांक तक राजस्व अभिलेख में किए गए अंकन को निरस्त किया जाता है तथा उक्त विवादित आराजी एकीकरण विभाग द्वारा खसरा नम्बर–1700 की भूमि को भूरा पुत्र माधो के नाम दर्ज की गई वह गैर कानूनी एवं बिना क्षेत्राधिकार के की गई तथा भूरा की मृत्यु के पश्चात विवादित आराजी खसरा नम्बर के हाल खसरा नम्बर–3107 रकबा 0.05 हैक्टेयर का जो अंकन अप्रार्थी के नाम बतौर खातेदारी हटाई जाकर पुनः राजकीय खाते में सिवायचक गैर मुमकिन नदी के रूप में राजस्व रिकार्ड में अभिलिखित करने के आदेश दिये जाते है।

8– आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णीत इन्द्राज की जाकर अभिलेखागार में भिजवाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(हरि शंकर गोयल)**
**सदस्य**